संख्या- 11/2017/एस-3-232(1)/दस-2017-100(10)/2009

प्रेषक,

राज रतन,

उपसचिव,

उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

कोषागार,उ0प्र0,

जवाहर भवन,लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय:-भारत संचार निगम, लि0 के माध्यम से डाटा सेन्टर हेतु 34 एम0बी0पी0एस0 के स्थान पर 128 एम0बी0पी0एस0 की कनेक्टिविटी प्राप्त करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-3463/कम्प्यू0/150/मिशन मोड/प्रोजक्ट-III/को0 नि0/2016, दिनांक 10-02-2017, के संदर्भ में शासनादेश संख्या 4/2017/एस-3-232/दस-2017-100(10)/2009 दिनांक 22-03-2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 22-03-2017 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में मिशन मोड प्राजेक्ट के अन्तर्गत 34 एम0बी0पी0एस0 के स्थान पर 128 एम0बी0पी0एस0(एम0पी0एल0एस0-वी0पी0एन0 गोल्ड लाईन) की कनेक्टिविटी कराये जाने हेतु प्रतिवर्ष धनराशि रू0 19,03,951.00 (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) अर्थात 15 प्रतिशत दर से रूपया 2,85,593.00 (सर्विस टैक्स) को जोडते हुये अर्थात कुल रूपया 21,89,544.00 (रूपये इक्कीस लाख नवासी हजार पॉच सौ चौवालीस मात्र) की स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरित कर बी0एस0एन0एल0 को अग्रिम के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति वित्त(लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25-10-1983 एवं संख्या ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न शर्तो के साथ श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक तो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

2- विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन 31-03-2017 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाये।

3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

4- क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

5- विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

6- उक्त आदेश वित्त लेखा (अनुभाग) -1 द्वारा उनकी प्रदत्त अनापत्ति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 11/2017 /एस-3-232(2)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद,

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

6- कार्यालय मुख्य महा प्रबन्धक, दूरसंचार, उ0प्र0, पूर्वी दूरसंचार परिमण्डल, लखनऊ, इन्टर प्राइज बिजनेस सेल, भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ-226001

7- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।